

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ-27(80)ग्राविवि/मु.मं.ग्रा.बी.आ.यो./बजट/गुप-5/पार्ट/2011 जयपुर,दिनांक 11 जनवरी,2012

समस्त,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,(ग्रा.वि.प्र.)
(सीकर व झूझनूं के अतिरिक्त)
राजस्थान

विषय: "मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" अन्तर्गत जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक/पर्यवेक्षणीय व्यय हेतु आवंटित बजट राशि के उपयोग के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त (आय व्यय)विभाग का पत्रांक प. 4 (236) वित्त-1(1) आ.व्यय/2010 जयपुर दिनांक 02.01.2012 (स्वीकृति संख्या-518/2011-12)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक स्वीकृति आदेश एवं शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज की स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 165 (4) ले.ब./परावि/2011-12/4932 जयपुर, दिनांक 27.12.2011 की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है जिसके द्वारा जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पीडी खातों में "मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" अन्तर्गत जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक/पर्यवेक्षणीय व्यय की पूर्ति हेतु कमशः राशि रु. 90,72,000/- एवं 2,19,63,904/- हस्तांतरित की गई है।

उक्तानुसार हस्तान्तरित राशि का उपयोग निम्नानुसार "मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" अन्तर्गत प्रशासनिक/पर्यवेक्षणीय व्यय की पूर्ति हेतु किया जावे :-

जिला परिषद स्तर हेतु :-

1. समस्त कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री संबंधित कार्यों हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1 (4)एफडी रूल्स/2011 दिनांक 17.06.2011 के अनुसार एक कम्प्यूटर (मय प्रशिक्षित ऑपरेटर) सेवा प्रदाता ऐजेंसी से भाडे पर लिया जा सकता है, जिसके लिए रु 6500/-प्रतिमाह व्यय वित्त विभाग के परिपत्र एफ 9 (1)एफडी 1(1)बजट/2010 दिनांक 25 जुलाई, 2011 द्वारा अनुमत है।
2. जिला परिषद के क्षेत्राधिकार अंतर्गत सम्मिलित पंचायत समिति क्षेत्रों में योजना की मोनेटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु योजना प्रभारी व सहायक योजना प्रभारी के उपयोगार्थ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1)एफडी 1(1)बजट/2010 दिनांक 30.06.2011 के अनुसार रुपये 15,000/- प्रतिमाह की दर से एक वाहन भाडे पर लिया जा सकता है। बाड़मेर, बीकानेर, चुरू,जैसलमेर,जोधपुर, नागौर, उदयपुर एवं जयपुर जिले हेतु उक्त दर रुपये 18,000/-प्रतिमाह है।
3. योजना के प्रभारी अधिकारी को पंचायत समिति, जिला एवं राज्य स्तर पर योजना की प्रगति एवं प्रबोधन हेतु दूरभाष पर वार्ता करने के लिए रुपये 500/-प्रतिमाह मोबाईल शुल्क पुर्नभरण प्रदान किया जाता है। इस हेतु संबंधित अधिकारी अपने स्वयं के नाम से मोबाईल का पोस्टपेड कनेक्शन लेंगे (यदि पूर्व में उक्त नहीं हो तो) जिसका रुपये 500/- प्रतिमाह तक पुनर्भरण योजनान्तर्गत आवंटित जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणीय मद की राशि से किया जा सकेगा। निर्धारित रुपये 500/- प्रतिमाह की वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर आधिक्य राशि स्वयं संबंधित अधिकारी द्वारा वहन की जावेगी। यदि प्रभारी अधिकारी अन्यत्र योजना से मोबाईल फोन बिल का पुर्नभरण प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें उक्त पुर्नभरित

राशि की सीमा तक इस मद में राशि व्यय अनुमत नहीं है। प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन उपयोग में लेने पर उसके बिलों का पुर्नभरण नहीं किया जावेगा।

4. योजनान्तर्गत होने वाले विविध व्यय यथा पत्राचार, फोटो स्टेट, स्केनिंग कार्य कम्प्यूटर स्टेशनरी, सी.डी., पेन ड्राइव, डाटा कनेक्शन, आदि हेतु रूपये 25/- प्रति लक्ष्य के दर से राशि आवंटित की गई है।

पंचायत समिति स्तर हेतु :-


1. प्रत्येक पंचायत समिति पर समस्त कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री संबंधित कार्यों हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1 (4)एफडी रूल्स/2011 दिनांक 17.06.2011 के अनुसार एक कम्प्यूटर (मय प्रशिक्षित ऑपरेटर) सेवा प्रदाता ऐजेंसी से भाडे पर लिया जा सकता है, जिसके लिए रु 6500/-प्रतिमाह व्यय वित्त विभाग के परिपत्र एफ 9 (1)एफडी 1(1)बजट/2010 दिनांक 25 जुलाई, 2011 द्वारा अनुमत है।

2. पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में योजना की मोनेटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु पंचायत समिति स्तर के योजना प्रभारी व अन्य अभियंताओं के उपयोगार्थ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ एफ 9 (1)एफडी 1(1)बजट/2010 दिनांक 30.06.2011 के अनुसार रूपये 15,000/- प्रतिमाह की दर से एक वाहन भाडे पर लिया जा सकता है।

3. पंचायत समिति स्तर पर आयोजित सम्मेलन व लाभार्थियों को लाने लेजाने हेतु पंचायतीराज विभाग के आदेश क्रमांक 2207 दिनांक 8.7.11 के क्रम में एवं अन्य योजना संबंधित विविध व्यय की पूर्ति हेतु प्रत्येक पंचायत समिति अधिकतम रु. 35,000/- तक व्यय कर सकती है। यहां उल्लेखनीय है कि इस उपमद अन्तर्गत प्रावधित राशि से सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूर्व में आयोजित किये जा चुके सम्मेलनों पर व्यय की गई राशि का पुर्नभरण किया जावे।


अतः उपरोक्तानुसार योजनान्तर्गत प्रशासनिक व पर्यवक्षणीय प्रभारों की पूर्ति हेतु प्रावधित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है। कृपया सभी संबंधितों को अपने स्तर से उपरोक्त निर्देशों की पालना हेतु पाबन्द करने का श्रम करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(तन्मय कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. मुख्य लेखाधिकारी, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद, राजस्थान (सीकर व झून्झनूं के अतिरिक्त)।
6. समस्त योजना प्रभारी अधिकारी (मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना) समस्त जिला परिषद, राजस्थान (सीकर व झून्झनूं के अतिरिक्त)।


अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(236)वित्त-1(1)आ.व्यय/2010

जयपुर, दिनांक : 02-01-2012

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 5/8 /2011-12)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में जिला परिषदों /पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(4)ले.व. /परावि/2011-12/4932 दि. 27.12.11 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रू. 31035904/- (अक्षरे रू. तीन करोड़ दस लाख पैंतीस हजार नौ सौ चार मात्र) निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे ।

—:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग सं. 41

(राशि रूपयों में)

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
196 -जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	
(01)-तदर्थ सहायता [01] संस्थापन	
12-सहायतार्थ अनुदान (सारणी - 'अ' के अनुसार) (आयोजना)	9072000
2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	
(01)-तदर्थ सहायता [01] संस्थापन	
12-सहायतार्थ अनुदान (सारणी - 'ब' के अनुसार) (आयोजना)	21963904

कुल योग 31035904/-

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

भुवदीय
(सुधीर शर्मा)
02.01.12

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-5) विभाग ।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (सीकर व झुन्झुनू को छोड़कर) ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (जिला सीकर व झुन्झुनू को छोड़कर) ।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग ।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल)विभाग, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

(सुधीर शर्मा)

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

97

क्रमांक एफ 165(4)ले.ब./परावि/2011-12/ 4932

जयपुर, दिनांक 27.12.2011

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को "मुख्यमन्त्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना" के प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणीय व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए संलग्न सारणीनुसार जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में राशि रु 31035904/- (अक्षरे राशि रु तीन करोड दस लाख पैंतीस हजार नौ सौ चार मात्र) के हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

(राशि रूपयों में)

मांग सं. 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(01)- तदर्थ सहायता [01] संस्थापन

12- सहायतार्थ अनुदान (सारणी 'अ' के अनुसार) (आयोजना) 9072000

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197- ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

21963904

(01)- तदर्थ सहायता [01] संस्थापन

12- सहायतार्थ अनुदान (सारणी 'ब' के अनुसार) (आयोजना)

कुल योग

31035904/-

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331100694 दिनांक 07.12.2011 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (आय-व्यय)विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणीनुसार राशि रु. 31035904/- संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश जारी कराने का श्रम करावें।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग।
6. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (सीकर व झुन्डुनू को छोड़कर)/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (जिला सीकर व झुन्डुनू को छोड़कर) को भेजकर निर्देश है कि आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
7. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/भुगतान/रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी

DEMAND NO. 41

2515-OTHER RURAL DEV.PROGRAMME

196-GRANT-IN-AID TO ZILA PARISHAD/ DISTRICT LEVEL PANCHAYATS

(01) TADARTH SAHAYATA, [01] ESTABLISHMENT

12-GRANT-IN-AID (PLAN) For the year 2011-12

(AMOUNT IN Lacs)

Sr. No.	Name of the Zila Parishad / Treasury	AMOUNT (Office Exp.) PLAN सहायतार्थ अनुदान सामान्य (गैर संवेतन)	GRAND TOTAL
1	AJMER	1.546	1.546
2	ALWAR	2.940	2.940
3	BANSWARA	6.393	6.393
4	BARAN	2.173	2.173
5	BADMER	5.258	5.258
6	BHARATPUR	2.628	2.628
7	BHILWARA	3.676	3.676
8	BIKANER	3.604	3.604
9	BUNDI	1.563	1.563
10	CHITTORGARH	2.110	2.110
11	CHURU	1.494	1.494
12	DAUSA	1.501	1.501
13	DHOLPUR	1.231	1.231
14	DUNGARPUR	6.137	6.137
15	GANGANAGAR	3.260	3.260
16	HANUMANGARH	2.368	2.368
17	JAIPUR	1.449	1.449
18	JAISALMER	2.700	2.700
19	JALOR	3.624	3.624
20	JHALAWAR	2.040	2.040
21	JODHPUR	2.988	2.988
22	KOTA	1.654	1.654
23	NAGOR	1.652	1.652
24	PALI	3.317	3.317
25	RAJSAMAND	2.461	2.461
26	S.MADHOPUR	2.422	2.422
27	KAROLI	2.372	2.372
28	SIROHI	1.767	1.767
29	TONK	1.685	1.685
30	UDAIPUR	11.257	11.257
31	PRATAPGARH	1.450	1.450
	TOTAL- Annex. 'A'	90.720	90.720

TREASURY WISE TOTAL (BUDGET HEAD) 2515-197-(01)-[01]-12 PLAN.			
Sr. No.	NAME OF THE TREASURY	(AMOUNT IN Rs.)	
		AMOUNT (Office Exp.) PLAN सहायतार्थ अनुदान सामान्य (गैर संवेतन)	GRAND TOTAL
1	AJMER	568032.00	568032.00
2	BEAWER	189344.00	189344.00
3	ALWAR	1325408.00	1325408.00
4	BANSWARA	757376.00	757376.00
5	BANRA	662704.00	662704.00
6	BADMER	757376.00	757376.00
7	BHARATPUR	852048.00	852048.00
8	BHILWARA	1041392.00	1041392.00
9	BIKANER	568032.00	568032.00
10	BUNDI	473360.00	473360.00
11	CHITTORGARH	1041392.00	1041392.00
12	PRATAPGARH	473360.00	473360.00
13	CHURU	568032.00	568032.00
14	DAUSA	473360.00	473360.00
15	DHOLPUR	378688.00	378688.00
16	DUNGARPUR	473360.00	473360.00
17	GANGANAGAR	757376.00	757376.00
18	HANUMANGARH	662704.00	662704.00
19	JAIPUR (CITY)	94672.00	94672.00
20	JAIPUR(RURAL)	1136064.00	1136064.00
21	JAISALMER	284016.00	284016.00
22	JALORE	757376.00	757376.00
23	JHALAWAR	568032.00	568032.00
24	JODHPUR (CITY)	189344.00	189344.00
25	JODHPUR (RURAL)	757376.00	757376.00
26	KOTA	473360.00	473360.00
27	NAGORE	1041392.00	1041392.00
28	PALI	946720.00	946720.00
29	RAJSAMAND	662704.00	662704.00
30	S.MADHOPUR	473360.00	473360.00
31	KAROLI	473360.00	473360.00
32	SIROHI	473360.00	473360.00
33	TONK	568032.00	568032.00
34	UDAIPUR	1041392.00	1041392.00
	TOTAL- Annex. 'B'	21963904.00	21963904.00

DEMAND NO. 41			
2515-OTHER RURAL DEV.PROGRAMME			
197-GRANT-IN-AID TO BLOCK PANCHAYATS/ MEDIUM LEVEL PANCHAYATS			
(01) TADARTH SAHAYATA, [01] ESTABLISHMENT			
12-GRANT-IN-AID (PLAN) For the year 2011-12			
Sr. No.	NAME OF THE PANCHAYAT SAMITIES	AMOUNT (Office Exp.) PLAN सहायतार्थ अनुदान सामान्य (गैर संवेतन)	(AMOUNT IN Rs.) GRAND TOTAL
AJMER			
1	ARAI		
2	BHINAI	94672.00	94672.00
3	KEKRI	94672.00	94672.00
4	KISHANGARH	94672.00	94672.00
5	PISANGAN	94672.00	94672.00
6	SRI NAGAR	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	568032.00	568032.00
BEAWAR			
1	JAWAJA		
2	MASUDA	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	94672.00	94672.00
ALWAR			
1	BANSOOR		
2	BEHROR	94672.00	94672.00
3	KATHUMBAR	94672.00	94672.00
4	KISHANGARHWAS	94672.00	94672.00
5	KOTKASIM	94672.00	94672.00
6	LAXMANGARH	94672.00	94672.00
7	MUNDAWAR	94672.00	94672.00
8	NIMRANA	94672.00	94672.00
9	RAINI	94672.00	94672.00
10	RAJGARH	94672.00	94672.00
11	RAMGARH	94672.00	94672.00
12	THANAGAJI	94672.00	94672.00
13	TIJARA	94672.00	94672.00
14	UMRAIN	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	1325408.00	1325408.00
BANSWARA			
1	ANANDPURI		
2	BAGIDORA	94672.00	94672.00
3	GADHI	94672.00	94672.00
4	GHATOL	94672.00	94672.00
5	KUSHALGARH	94672.00	94672.00
6	SAJJANGARH	94672.00	94672.00
7	TALWARA	94672.00	94672.00
8	CHOTI SARVAN	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	757376.00	757376.00
BARAN			
1	ANTA		
2	ATARU	94672.00	94672.00
3	BARAN	94672.00	94672.00
4	CHHABRA	94672.00	94672.00
5	CHHIPABAROD	94672.00	94672.00
6	KISHANGANJ	94672.00	94672.00
7	SHAHBAD	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	662704.00	662704.00

Sr. No.	NAME OF THE PANCHAYAT SAMITIES	AMOUNT (Office Exp.) PLAN सहायतार्थ अनुदान सामान्य (गैर संवेतन)	GRAND TOTAL
BARMER			
1	BALOTRA	94672.00	94672.00
2	BARMER	94672.00	94672.00
3	BAYATU	94672.00	94672.00
4	CHOHTAN	94672.00	94672.00
5	DHORIMANNA	94672.00	94672.00
6	SHIV	94672.00	94672.00
7	SINDHARI	94672.00	94672.00
8	SIWANA	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	757376.00	757376.00
BHARTPUR			
1	BAIR	94672.00	94672.00
2	BAYANA	94672.00	94672.00
3	DEEG	94672.00	94672.00
4	KAMA	94672.00	94672.00
5	KUMHER	94672.00	94672.00
6	NADBAI	94672.00	94672.00
7	NAGAR	94672.00	94672.00
8	ROOPWAS	94672.00	94672.00
9	SEWAR	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	852048.00	852048.00
BHILWARA			
1	AASIND	94672.00	94672.00
2	BANEDA	94672.00	94672.00
3	HURADA	94672.00	94672.00
4	JAHAJPUR	94672.00	94672.00
5	KOTADI	94672.00	94672.00
6	MANDAL	94672.00	94672.00
7	MANDALGARH	94672.00	94672.00
8	RAIPUR	94672.00	94672.00
9	SAHADA	94672.00	94672.00
10	SHAHPURA	94672.00	94672.00
11	SUWANA	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	1041392.00	1041392.00
BIKANER			
1	BIKANER	94672.00	94672.00
2	KOLAYAT	94672.00	94672.00
3	LUNKARANSAR	94672.00	94672.00
4	NOKHA	94672.00	94672.00
5	SHRI DUNGARGARH	94672.00	94672.00
6	KHAJUWALA	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	568032.00	568032.00
BUNDI			
1	HINDOLI	94672.00	94672.00
2	KESHORAIPATAN	94672.00	94672.00
3	NAINWA	94672.00	94672.00
4	TALERA	94672.00	94672.00
5	BUNDI	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	473360.00	473360.00

-3-

Sr. No.	NAME OF THE PANCHAYAT SAMITIES	AMOUNT (Office Exp.) PLAN सहायतार्थ अनुदान सामान्य (गैर संवेतन)	GRAND TOTAL
CHITTORGARH			
1	BAIGU	94672.00	94672.00
2	BADI SADARI	94672.00	94672.00
3	BHADESHAR	94672.00	94672.00
4	BHENSHROD GARH	94672.00	94672.00
5	BHOPALSAGAR	94672.00	94672.00
6	CHITTORGARH	94672.00	94672.00
7	DUNGALA	94672.00	94672.00
8	GANGARAR	94672.00	94672.00
9	KAPASAN	94672.00	94672.00
10	NIMBAHERA	94672.00	94672.00
11	RASHMI	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	1041392.00	1041392.00
PRATAPGARH			
1	ARNOD	94672.00	94672.00
2	CHHOTI SADARI	94672.00	94672.00
3	DHARIYAVAD	94672.00	94672.00
4	PIPALKHOONT	94672.00	94672.00
5	PRATPGARH	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	473360.00	473360.00
CHURU			
1	CHURU	94672.00	94672.00
2	RAJGARH	94672.00	94672.00
3	RATANGARH	94672.00	94672.00
4	SARDARSHAHAR	94672.00	94672.00
5	SUJANGARH	94672.00	94672.00
6	TARANAGAR	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	568032.00	568032.00
DAUSA			
1	BANDIKUI	94672.00	94672.00
2	DAUSA	94672.00	94672.00
3	LALSOT	94672.00	94672.00
4	MAHUVA	94672.00	94672.00
5	SIKARAI	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	473360.00	473360.00
DHOLPUR			
1	BADI	94672.00	94672.00
2	BASEDI	94672.00	94672.00
3	DHOLPUR	94672.00	94672.00
4	RAJAKHERA	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	378688.00	378688.00
DUNGARPUR			
1	AASPUR	94672.00	94672.00
2	BICHHIWARA	94672.00	94672.00
3	DUNGARPUR	94672.00	94672.00
4	SAGAWARA	94672.00	94672.00
5	SIMALAWARA	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	473360.00	473360.00

103

4-

Sr. No.	NAME OF THE PANCHAYAT SAMITIES	AMOUNT (Office Exp.) PLAN सहायतार्थ अनुदान सामान्य (गैर संवेतन)	GRAND TOTAL
GANGANAGAR			
1	ANUPGARH	94672.00	94672.00
2	GANGANAGAR	94672.00	94672.00
3	KARANPUR	94672.00	94672.00
4	PADAMPUR	94672.00	94672.00
5	RAISINGHNAGAR	94672.00	94672.00
6	SADULSHAHAR	94672.00	94672.00
7	SURATGARH	94672.00	94672.00
8	GHRHASANA	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	757376.00	757376.00
HANUMANGARH			
1	BHADRA	94672.00	94672.00
2	HANUMANGARH	94672.00	94672.00
3	NOHAR	94672.00	94672.00
4	RAWATSAR	94672.00	94672.00
5	SANGARIYA	94672.00	94672.00
6	PILIBANGA	94672.00	94672.00
7	TIBBI	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	662704.00	662704.00
JAIPUR (CITY)			
1	JHOTWARA	94672.00	94672.00
		94672.00	94672.00
JAIPUR (RURAL)			
2	AMER	94672.00	94672.00
3	BASSI	94672.00	94672.00
4	CHAKASU	94672.00	94672.00
5	DUDU	94672.00	94672.00
6	GOVINDGARH	94672.00	94672.00
7	JAMUVARAMGARH	94672.00	94672.00
8	KOTPUTALI	94672.00	94672.00
9	PHAGI	94672.00	94672.00
10	SAMBHAR	94672.00	94672.00
11	SANGANER	94672.00	94672.00
12	SHAHPURA	94672.00	94672.00
13	VIRATNAGAR	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	1136064.00	1136064.00
JAISALMER			
1	JAISALMER	94672.00	94672.00
2	SAM	94672.00	94672.00
3	SANKARA	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	284016.00	284016.00
JALORE			
1	AAHORE	94672.00	94672.00
2	BHINMAL	94672.00	94672.00
3	JALORE	94672.00	94672.00
4	JASWANTPURA	94672.00	94672.00
5	SANCHORE	94672.00	94672.00
6	SAYALA	94672.00	94672.00
7	RANIWARA	94672.00	94672.00
8	CHITALWANA	94672.00	94672.00
	TOTAL :-	757376.00	757376.00

